# न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार योगी गुप्ता, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 74/2018

| अपीलान्ट्स | बनाम | रेस्पोडेन्ट्स |
|---|---|---|
| 1 रामी पत्नी हजारीराम 2 मैना पत्नी बुधाराम 3 गोमती पत्नी चतराराम 4 सुवटी पत्नी रामूराम 5 रणजीत पुत्र भूराराम 6 गीता पत्नी भूराराम सभी जाति मेघवाल निवासी गौराउ तहसील जायल। | | 1 जवानाराम पुत्र भागीरथ राम 2 लिछमा बेवा भागीरथ राम 3 मनफुली बेवा भेराराम जातियान मेघवाल निवासी गौराउ तहसील जायल जिला नागौर 4 चुसली बेवा भुगानदास 5 रूकमा पुत्री भुगानदास 6 वंशीदास पिसरान मंघदास 7 सुखदास पुत्र आसुदास 8 बद्रीदास पुत्र आसुदास 9 गोपाल दास पुत्र आसुदास 10 गुलाबदास पुत्र आसुदास 11 रामनिवासदास पुत्र आसुदास जातियान कामड निवासी गौराउ तहसील जायल जिला नागौर 12 पूर्णराम पुत्र अर्जुनराम जाति रेगर, निवासी गौराउ तहसील जायल जिला नागौर 13 चन्द्रदास पिसरान मंघदास व उतराधिकारी–<br>13/1 ओमदास पुत्र स्व. चन्द्रदास<br>13/2 ईगयारसी पुत्री स्व. चन्द्रदास<br>13/3 कमला पुत्री चन्द्रदास<br>13/4 सरस्वती बेवा बुधाराम 13/5 मुकेश पुत्र स्व. बुधाराम जरिये संरक्षक नाबालिग वलिया माता सरस्वति पत्नी बुधाराम जाति कामड निवासी गौराउ तहसील जायल जिला नागौर<br>14 हनुमानदास पुत्र मंघदास के उतराधिकारी–<br>14/1 बिरमा राम पुत्र हनुमानदास जाति कामड निवासी गौराउ, तहसील जायल जिला नागौर<br>15 सोहनदास पुत्र मंघदास के उतराधिकारी–<br>15/1 गीता बेवा सोहनदास 15/2 राजुदास पुत्र सोहनदास 15/3 बोदुदास पुत्र सोहनदास जातियान कामड, निवासी सीता माता मंदिर के पास, लूणकरणसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।<br>16 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला नागौर। |

उपस्थिति :–

1. श्री भंवरलाल चौधरी अधिवक्ता, अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री दिनेश हेडा अधिवक्ता, रेस्पोडेंन्ट संख्या 01, 02, 07 की ओर से।
3. श्री मोतीलाल इनाणिया अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 6, 13/1, 13/2, 13/3, 14/1, 15/3 की ओर से।
4. ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 16 की ओर से।

## निर्णय

दिनांक 21.02.24

{1}–अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार (भू.अ.) जायल मौजा गौराउ के नामान्तरकरण सं. 1420 निर्णय दिनांक 16.03.16 से असंतुष्ट होकर दिनांक 16.01.2018 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 05.02.18 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 तथा 07 की ओर से श्री दिनेश हेडा अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 6, 13/1, 13/2, 13/3, 14/1 तथा 15/3 की ओर से मोतीलाल इनाणिया तथा रेस्पोंडेंट संख्या 16 की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा रेस्पोडेंट संख्या 03 से 05, 08 से 12, 13/4, 13/5, 15/1 तथा 15/2 बावजूद सूचना के न्यायालय में गैर हाजिर रहे है। अपीलांट्स ने अपनी अपील के समर्थन में मौजा गौराउ के नामान्तरण संख्या 1420 दिनांक 16.03.16 की फोटोप्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर जायल के वाद संख्या 164/2009 के निर्णय दिनांक 24.02.16 की फोटोप्रति, रजिस्ट्री की फोटोप्रति, न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी नागौर के निर्णय दिनांक 17.08.2022 की फोटोप्रति पेश की।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट संख्या 1 से 4 व 6 वाद में पक्षकार नहीं थे और अपीलांट संख्या 5 पर वाद का कोई सम्मन विधिनुसार तामिल नहीं हुआ उन्हें तो वादग्रस्त निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 22.12.17 को अपीलांट संख्या 5 रणजीत के द्वारा पटवारी हल्का से खतौनी की नकल व उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय में पारित निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त करने व तत्पश्चात म्यूटेशन की नकल प्राप्त करने पर हुई थी, इस प्रकार निर्णय व डिक्री के आधार पर गलत रूप से भरे गये नामान्तरकरण जैर अपील की कोई जानकारी पूर्व में नहीं थी इसलिए जानकारी के दिवस से उक्त अपील मयाद पेश की गई। जिसे मियाद में शुमार की जाना न्यायोचित है। अपीलांट्स द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ पत्र तस्दीकसुदा प्रस्तुत किया गया है। जो माकूल आधार पर प्रतीत होता है। अतः अपीलांट्स की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। अंतिम बहस शुरू करते हुए वकील अपीलांट्स ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि वकील अपीलांट्स ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(I)– तहसीलदार जायल ने दस्तावेजों का सही प्रकार से अवलोकन किये बिना ही व अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो अवैध होने से निरस्त होने योग्य है।

{2}(II)– वादग्रस्त भूमि का वाद पत्र मे व निर्णय व डिक्री जैर अपील में विभाजन पक्षकारान के हक व हिस्से के अनुसार नहीं किया गया है। अपीलांट संख्या 1 से 4 ने पूर्व खातेदार रेस्पोडेंट संख्या 12 पूर्णाराम से दिनांक 23.01.08 को खसरा नम्बर 647 में से 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि खरीद कर उतर की तरफ के हिस्से का कब्जा प्राप्त कर लिया व उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 862 दिनांक 20.09.08 को स्वीकार कर लिया गया है। उक्त खसरा व उक्त रकबे के नये खसरा नम्बर 1682/647 कायम किये गये है। मगर निर्णय व डिक्र की पालना में भरे गये नामान्तरकरण में अपीलांट संख्या 1 से 4 के साथ रेस्पोडेंट संख्या 5 व 6 का नाम भी दर्शा दिया व नामान्तरकरण की पुश्त पर बनाये गये नक्शों में 1682/647 को दक्षिण की तरफ दर्शा दिया जो पूर्णत्या गलत है। उक्त खेत में अपीलांट रणजीत व गीता पिसरान भूराराम का 1/3 हिस्सा है तथा शेष 1/3 हिस्सा वादीगण/ रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का है। मगर वादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 के हक में गलत तौर से उसके दुगुने हिस्से रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा की डिक्री पारित करके उक्त रकबे को दक्षिण की बजाय उतर की तरफ दर्शा दिया इस प्रकार से निर्णय व डिक्री जैर अपील बंट व हिस्से के अनुसार पूर्णत्या अवैध व शून्य है।

{2}(III)–खसरा नम्बर 272 रकबा 50 बीघा 19 बिस्वा में से अपीलांट संख्या 5 व 6 का बंट 32 बीघा 1 बिस्वा आया है व शेष 3 बीघा 13 बिस्वा रकबा, खसरा नम्बर 647 में रखा गया। मगर खसरा नम्बर 647 में उनका केवल 7 बिस्वा रकबा बंट में रखा गया है व खसरा नम्बर 272 का 35 बीघा 14 बिस्वा रकबा उनके बंट में गलत बताया गया है। उक्त परिवर्तन खसरा नम्बर 647 की मूल्यवान भूमि वादीगण द्वारा हडपने की नियत से गलत बताया गया है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 62 रकबा 61 बीघा 3 बिस्वा में से 30 बीघा 12 बिस्वा दक्षिणी की तरफ का प्रतिवादी संख्या 9 से 13 के बंट में बताया है मगर उतर की तरफ का शेष रकबा 30 बीघा 11 बिस्वा पूरा रेस्पोडेंट संख्या 3 मनफूली के बंट में नहीं बताया गया हैं इस प्रकार से निर्णय व डिक्री जैर अपील व शून्य है और उक्त निर्णय व डिक्री की पालना मे भरे गये नामान्तरकरण संख्या 1420 की पूश्त पर जो नक्शा बताया गया है उसके अनुसार रणजीत के खसरा नम्बर 272 का रकबा दक्षिण की बजाय उतर की तरफ दर्शा दिया गया है।

{2}(IV)–निर्णय व डिक्री मे खसरा नम्बर 647 10 बीघा 19 बिस्वा में से 6 बीघा 19 बिस्वा दक्षिणी भाग वादीगण जवानाराम व लिछमा के बंट में रखने का उल्लेख किया गया है जबकि उक्त म्यूटेशन की पुश्त पर जो नक्शा बनाया गया है उसके अनुसार उत्तर की तरफ का हिस्सा जवानाराम व लिछमा का बता दिया जबकि न तो उक्त हिस्से पर कभी भी वादीगण का कब्जा काश्त था और न ही आज दिन है। इसके अलावा खसरा नम्बर 1682/647 मे मनफूली का हिस्सा नहीं बताया गया है और न ही उसका इसमें कोई हिस्सा है क्योंकि, मनफूली का 1/3 हिस्सा दावे से पहले ही पूर्णाराम को बेच दिया था तथा पूर्णाराम 1/3 हिस्सा रामी, मैना, सुवटी, गोमती को विक्रय कर दिया था और जिसका रेकर्ड में नाम था फिर भी नामान्तरकरण में गोमती का नाम नहीं रखा गया। इसलिए तहसीलदार द्वारा भरा गया म्यूटेशन अवैध व शून्य होने से निरस्त होने योग्य है।

{2}(V)– खसरा नम्बर 272 में रणजीत व गीता का नाम गलत रूप से जोड दिया गया जबकि, निर्णय व डिक्री में ऐसा कोई इन्द्राज नहीं है। इसलिए भी तहसीलदार द्वारा भर कर स्वीकृत किया गया म्यूटेशन अवैध व शून्य है।

{3}– वकील रेस्पोडेंट संख्या 01, 02 तथा 07 ने अपनी बहस में बताया कि नामान्तरकरण की कार्यवाही फिस्कल कार्यवाही है। जहां पक्षकारो के स्वत्व अधिकार निर्णीत नही किये जा सकते है। उक्त नामान्तरण विधि अनुसार भरा गया है। अपील सारहीन होने से खारिज की जाने योग्य है।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार (भू.अ.) जायल मौजा गौराउ के नामान्तरकरण सं. 1420 निर्णय दिनांक 16.03.16 से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। न्यायालय सहायक कलक्टर जायल के प्रकरण संख्या 164/09 जवानाराम व अन्य बनाम रणजीत व अन्य पारित डिगरी दिनांक 24.02.16 के अनुसार नामान्तरण संख्या 1420 दिनांक 16.03.16 भरा गया था। माननीय राजस्व अपील अधिकारी नागौर के निर्णय दिनांक 17.08.22 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर जायल के प्रकरण संख्या 164/09 जवानाराम व अन्य बनाम रणजीत व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 24.02.16 को निरस्त कर सभी अवश्यक पक्षकारों को संयोजित कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, साक्ष्य सबूत प्राप्त कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विहित प्रावधानों के तहत पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गये। अतः उक्त निर्णय आधार पर पारित डिगरी की पालना में भरा गया नामान्तरकरण 1420 दिनांक 16.03.16 का कोई विधिक औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार जायल मौजा गौराउ के नामान्तरकरण सं. 1420 निर्णय दिनांक 16.03.16 को अपास्त किया जाता है।

{6}– निर्णय आज दिनांक 21.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(अशोक कुमार योगी)
अपर कलक्टर, नागौर